सरकार

निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०स०–अ०सां०नि०/स्था०17–05/2021 / 323 /पटना, दिनांकः– 29/09/22

कार्यालय आदेश

श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, टनकुप्पा प्रखंड, गया संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, गिरियक प्रखंड, नालंदा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–441/स्था० दिनांक–26.03.2021 द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह के विरूद्ध तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, टनकुप्पा द्वारा श्री अनिल कुमार निराला, आरोपित एवं निलंबित प्रखंड शिक्षक, मध्य विद्यालय, बरचैता पर तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मानपुर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में गठित आरोपों की जाँच हेतु दिसंबर, 2017 में जाँच पदाधिकारी नामित किये जाने पर ससमय जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने एवं स्मारित करने के बावजूद मई, 2019 में सतही जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने संबंधी आरोप पर समर्पित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०स०–अ०सां० संगठित ज्ञापांक–1133 दिनांक–13.09.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता(विभागीय जाँच), गया को संचालन पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, टनकुप्पा, गया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता(विभागीय जाँच), गया–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–169/वि०जाँच दिनांक–30.06.2022 द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न मंतव्य दिया है :–

" श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, टनकुप्पा, गया संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, गिरियक प्रखंड, नालंदा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप एवं आरोपी का स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, टनकुप्पा का मंतव्य का सुनवाई के क्रम में पाया गया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, टनकुप्पा द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, टनकुप्पा, गया संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, गिरियक प्रखंड, नालंदा को सहयोग/वांछित दस्तावेज ससमय उपलब्ध नहीं कराने के कारण जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने में विलंब हुआ है।

अतः श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, टनकुप्पा, गया संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, गिरियक प्रखंड, नालंदा के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित नंहीं होता है।"

अ013 त्रा0 1 (का0आ0) (22 सितम्बर 2022) अनिल कुमार सिंह.

मैथिली

अतः संचालन पदाधिकारी के संचालन प्रतिवेदन में दिये गये मंतव्य कि श्री अनिल कुमार सिंह के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं होता है, से सहमत होते हुए श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, टनकुप्पा प्रखंड, गया संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, गिरियक प्रखंड, नालंदा को भविष्य में कार्य के प्रति सचेष्ट रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

ह०/–

(संजय कुमार पंसारी)

निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–05/2021 / 1713 /पटना, दिनांकः– 29/09/22

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, गया को उनके पत्रांक–441/स्था० दिनांक–26.03.2021 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप निदेशक(सां०), पटना प्रमंडल, पटना/मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया/नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरियक प्रखंड, नालंदा/ टनकुप्पा प्रखंड, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, टनकुप्पा, गया संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, गिरियक प्रखंड, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

28/9/22

निदेशक

0413 स्था० 1 (का०आ०) (22 सितम्बर 2022) अनिल कुमार सिंह.

"जन्म हो या मरण, जरूरी है पंजीकरण"